

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 110 /2021 दिनांक : 20.07.2021

श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर को दिनांक 20.08.2021 से 18.09.2021 तक 30 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.09.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-04, जोधपुर महानगर को श्रीमती पूर्णिमा गौड़ के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), जिनको अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से.
19.07.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/52/2002/ 4656

दिनांक 20.07.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 3814 दिनांक 05.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-03, जोधपुर महानगर।
5. डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-04, जोधपुर महानगर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-04, जोधपुर महानगर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

20.7.2021
सहायक रजिस्ट्रार